



**कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रॉची वन प्रमण्डल, रॉची।**  
**वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)**

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहो है छत्तियाती ।  
जहो है झुटपाटी ॥

पत्रांक:- २५३ दिनांक:- ५६.०२.२३

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन),  
सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस।

विषय:-

**Compensatory levies in proposal for non-forestry use of 126.72 ha. (84.35 ha. PF and 42.37 ha. Jungle Jhari) of forest land for KDH open cast mine in favour of M/S central coal fields limited (CCL) in Ranchi district, Jharkhand- reg.**

प्रसंग:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची का पत्र सं0- 8/62/2018-FC दिनांक-27.02.2023, इस कार्यालय का पत्रांक-1081 दिनांक-23.03.2023, महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया डकरा का पत्रांक-374 दिनांक-24.03.2023, इस कार्यालय का पत्रांक-1121 दिनांक-27.03.2023, महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया डकरा के परियोजना पदाधिकारी KDH OCP का पत्रांक- 47 दिनांक-15.06.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची के पत्र सं0- 8/62/2018-FC दिनांक-27.02.2023 से स्टेज-I के शर्त A(3), A(4) के अनुपालनार्थ इस कार्यालय द्वारा क्रमशः क्षतिपूरक वनरोपण की राशि (253.50 हेठो) - 5,88,47,687 रुपया तथा निवर्तमान मूल्य की राशि - रुपये 12,13,69,882 कुल राशि मात्र की गणना कर मांग की गई है। परन्तु महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया, डकरा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-374 दिनांक-24.03.2023 से इसमें सी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में निवर्तमान मूल्य जमा पत्रांक-374 दिनांक-24.03.2023 से इसमें सी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में निवर्तमान मूल्य जमा की गयी राशि 7,93,26,720 जो कि KDH OCP 126.72 ha. के विरुद्ध जमा हुई है, उसका प्रसंग देते हुए उसे स्टेज-I KDH OCP के मांग पत्र में समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

तदोपरांत, इस कार्यालय द्वारा पत्रांक-1121 दिनांक-27.03.2023 के माध्यम से सूचित कर दिया गया था कि "यदि आपके द्वारा पूर्व में निवर्तमान मूल्य के रूप में रुपया- 7,93,26,720 (सात करोड़ तिरान्बे लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रुपया मात्र) जमा किया जा चुका है, तो शेष अंतर राशि रुपया- 10,08,90,849 (दस करोड़ आठ लाख सौ बीस रुपया मात्र)" ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की नब्बे हजार आठ सौ उनचास मात्र)" ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की सूचना CA levies format कुल रुपया- 18,02,17,569 (अठारह करोड़ दो लाख सतरह हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) में भरकर समर्पित करने को कहा गया था। तत्पश्चात महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया के कार्यालय पत्रांक-47 दिनांक-15.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची, कार्यालय के द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के नवीनतम SoR एवं अद्यतन मजदूरी दर के आधार पर संशोधित कर भेजने का निदेश प्राप्त हुआ।

इस आलोक में महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया के अनुरोध पर क्षतिपूरक वनरोपण के न्यूनतम दर के आधार पर जो गणना की गई है वह निम्नवत है :-

(1) क्षतिपूरक वनरोपण (CA) – रुपया— 5,99,65,530 मात्र  
(2) निवर्त्तमान मूल्य (NPV) – रुपया— 12,13,69,882 मात्र  
कुल— रुपया— **18,13,35,412** (रुपया— अठारह करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार चार सौ बारह मात्र)

चूंकि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक—1121 दिनांक—27.03.2023 से आपको पूर्व में सूचित किया गया है कि यदि रुपये 7,93,26,720 (सात करोड़ तिरान्बे लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रुपया मात्र) सी0सी0एल0 द्वारा निवर्त्तमान मूल्य के रूप में जमा किया गया है तो सक्षम पदाधिकारी के सत्यापन के पश्चात ही, आप शेष राशि रुपया— 10,20,08,692 (दस करोड़ बीस लाख आठ हजार छः सौ बानबे मात्र) ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की सूचना CA levies format (कुल रुपया— 18,13,35,412 अठारह करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार चार सौ बारह मात्र) में भरकर सूचित करना सुनिश्चित करें। अतः इस विषय में अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

#### अनु०-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, IPO रांची का पत्र 08 / 62 / 2018—FC दिनांक 27.02.2023
2. वन प्रमण्डल रांची का पत्रांक 1081 दिनांक 23.03.2023 एवं 1121 दिनांक 27.03.2023
3. महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया डकरा का पत्रांक 374 दिनांक 24.03.2023 एवं 47 दिनांक 15.06.2023
4. महाप्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा एरिया डकरा M/s CCL Darbhanga House को बैंक द्वारा दिनांक 12.04.2016 का लिखा पत्र तथा पूर्व मे जमा संचिका विवरण।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
~~रांची~~ वन प्रमण्डल, रांची।  
~~०५१०८~~

**Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)**

\*\*\*\*\*

Indira Paryavaran Bhawan,  
Jor Bag Road, Aligani,  
New Delhi – 110003.

Dated: 27th February, 2023

To

**The Principal Secretary (Forests),  
Government of Jharkhand,  
Ranchi.**

**Sub: Proposal for non-forestry use of 126.72 ha (84.35 ha PF and 42.37 ha Jungle Jhari) of forest land for KDH Open Cast Mine in favour of M/s Central Coalfields Limited (CCL) in Ranchi District, Jharkhand – reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Government of Jharkhand's letter no. Van Bhumi-06/2017/3422/V.P. dated 13.08.2018 on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and letter no. Van Bhumi-06/2017-1201/V.P. dated 22.04.2022 and letter No. Vanbhumi-06/2017-2426-V.P. dated 22.08.2022 forwarding additional information as sought by the Ministry vide its letter of even number dated 22.08.2019 and 22.06.2022 respectively and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the Central Government hereby accords '**In-principle/Stage-I**' approval under Section - 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of 126.72 ha (84.35 ha PF and 42.37 ha Jungle Jhari) of forest land for KDH Open Cast Mine in favour of M/s Central Coalfields Limited (CCL) in Ranchi District, Jharkhand subject to fulfilment of the following conditions:

**A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval :-**

1. As per the approved Mining plan, an additional forest area of 135.91 ha is required for the expansion of the project. However, the instant proposal has been submitted for 126.72 ha only, excluding the area of 9.19 ha forest land which as per approved mining plan is earmarked as safety zone. The State government shall either revise the Mining plan or seek the diversion of the 9.19 ha. for the purpose of safety zone;
2. The State Govt. shall submit a detailed status report of the approvals under FCA, 1980 of the forest land involved in the entire lease area. The forest areas for which a valid approval under FCA, 1980 is not available shall not be used before a valid approval under FCA, 1980 for the same is obtained;
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The

} CMAI


018990/2023

scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

4. The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022;
5. Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of CAMPA pertaining to the State concerned through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>);
6. The State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence, along with compliance of Stage-I approval, as prescribed by this Ministry's letter No. 11-9/1998-FC (Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013, in support thereof;
7. The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake de-silting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed plan for de-silting of identified ponds and water bodies prepared in consultation with forest department shall be submitted;
8. The KML files of diverted area, the CA areas, the proposed SMC treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;
9. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

**B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:-**

1. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
2. *Wildlife Management plan shall be prepared and implemented at the cost of the user agency. The approved Wildlife management plan shall be submitted and the applicable cost shall be deposited as per the guidelines issued by the Ministry in this regard;*
3. Compensatory afforestation over degraded forest land, double in extent to the forest land being diverted, shall be raised by the State Forest Department at the project cost within three years from the date of grant of Stage - II approval;
4. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
5. The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
6. Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;



27/02/23

18990/2023

7. The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Addl. Principle Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;
8. The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;
9. Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;
10. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
11. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
12. The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;
13. Following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertaken in the lease area by the User Agency under the supervision of the State Forest Department. Approved scheme/plan shall be submitted to the Ministry along with compliance of Stage-I approval:
  - i. Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three year with effect from the issue of Stage-II clearance in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department.
  - ii. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;
  - iii. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;
  - iv. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 280; and
  - v. No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.
14. The User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and

4738990/2023

rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located in the area within 100 meter from outer perimeter of the mining lease. The plan for plantation and SMC activities shall be prepared and submitted to MoEF&CC;

**15. Safety Zone Management:** Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry's guidelines:

- i. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department;
- ii. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;
- iii. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and to ensure dense canopy in the area, regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;
- iv. Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervisions of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF& CC with shape files before Stage-II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and
- v. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;

16. The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;

17. The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;

19. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;

20. The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;

21. Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

22. The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and

*S  
H/2/23*


8/62/2018-FC

2890/2023

23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours faithfully,



28/07/23

(Suneet Bhardwaj)

Assistant Inspector General of Forests

**Copy to:-**

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Jharkhand, Ranchi;
2. The Regional Officer, Integrate Regional Office of the MoEF&CC at Ranchi;
3. The Nodal Officer (FCA), O/o PCCF, Government of Jharkhand, Ranchi;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC, New Delhi.



**कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रॉची वन प्रमंडल, रॉची।**

**वन भवन, डोरण्डा, रॉची- 834002 (झारखण्ड)**

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386

जर्नों में हासिलाएँ ।  
वर्षों में ज्ञाताएँ ।

**पत्रांक :—..... दिनांक :—.....**

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन)  
CCL दरभंगा हाऊस, रांची।

**विषय:-**

Proposal for non-forestry use of 126.72 ha. (84.35 ha PF and 42.37 ha. Jungle Jhari) of forest land for KDH Open Cast Mine in favour of M/s Central Coalfields Limited (CCL) in Ranchi District Jharkhand - reg.

**प्रसंग:-**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रॉची का पत्र सं- 8/62/2018-FC Date- 27.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रॉची का पत्र सं- 8/62/2018-FC Date- 27.02.2023 द्वारा विषयगत परियोजना को प्रथम चरण की स-शर्त स्वीकृति प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा (केन्द्रीय) रॉची द्वारा लगाए गये शर्त- सं- (A) के कंडिका-3 एवं कंडिका-4 में प्रस्तावित अपयोजन हेतु वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण एवं N.P.V. की राशि हेतु की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

| शर्त सं- | विवरणी   | रकम             |
|----------|--|-----------------|
| (A) 3    | क्षतिपूरक वनरोपण की राशि (253.50 हेठो)   | 5,88,47,687.00  |
| (A) 4    | NPV की राशि – 126.72 x 9,57,780.00<br>कुल वन भूमि 126.72 हेठो (घनत्व 0.3) @ 9,57,780.00 की दर से<br>Eco class 3 and density 0.3 के अनुसार 9,57,780.00 रु० प्रति हेठो | 12,13,69,882.00 |
| कुल-     |  | 18,02,17,569.00 |

\* प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि CA/NPV इत्यादि की राशि एफ०सी० वेब पोर्टल से उत्पन्न चालान के माध्यम से उचित बैंक में ही राशि जमा करें।

\* अपयोजित होने वाले वन का सिमांकन पर बनने वाली कंक्रीट पीलर का निर्माण जिसमें उनका सीरियल नं., GPS Coordinates, Forward and Backward bearing एवं दूसी इत्यादि ऑक्टित कर निर्माण कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल रु०- 18,02,17,569.00 (अठारह करोड़ दो लाख सतरह हजार पाँच सौ उन्हत्तर) मात्र का e- चालान generate करते हुए भारत सरकार के Ad-hoc CAMPA में जमा करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय साथ ही साथ भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रांची के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गये सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त (रथल विशिष्ट प्राक्कलन)

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रांची वन प्रमंडल, रांची।

ज्ञापांक :— १०५।

देनांक :— २३/०३/२०२१।

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रांची वन प्रमंडल, रांची।



**कार्यालय :-** वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

**वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)**

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

गोपनीय  
वन विभाग

पत्रांक:- ..... दिनांक:- .....

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
एन०के०एरिया, डकरा।

**विषय:-** Regarding revision of demand for payment against NPV and CA in respect of forestry diversion of 126.72 ha. for KDH, NK Area, CCL.

**प्रसंग:-** आपका पत्रांक-374 दिनांक-24.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा आपने सूचित किया है कि विषयक प्रस्ताव में आपके द्वारा पूर्व में निवर्तमान मूल्य के रूप में रूपया 7,93,26,720.00(सात करोड़ तिरान्बे लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) जमा किया जा चुका है। जिस कारण आपने इस कार्यालय के पत्रांक-1081 दिनांक-23.03.2023 द्वारा की गई मांग राशि को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-1081 दिनांक-23.03.2023 द्वारा मांग की गई राशि रूपया 18,02,17,569.00 (अठारह करोड़ दो लाख सतरा हजार पाँच सौ उनहतर रुपये मात्र) में से यदि आपके द्वारा पूर्व में निवर्तमान मूल्य के रूप में रूपया 7,93,26,720.00 (सात करोड़ तिरान्बे लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) जमा किया जा चुका है, तो शेष अंतर राशि रूपया 10,08,90,849.00 (दस करोड़ आठ लाख नब्बे हजार आठ सौ उनचास रुपये मात्र) ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की सूक्ष्मा CA Levies Format (कुल रूपया 18,02,17,569.00 का) में भर कर प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

ज्ञापांक :- ५२।

दिनांक :- २३-०३-२०२३

**प्रतिलिपि :-** क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
राँची वन प्रमण्डल, राँची।



**CENTRAL COALFIELDS LIMITED**  
(A subsidiary of Coal India Limited)  
Office of the General Manager,  
North Karanpura Area, P.O: Dakra 829210,  
Dist: Ranchi (Jharkhand).



Ref. No.: GM/NK/Envt/2023-24/47

Date: 15/06/2023

To  
Divisional Forest Officer  
Ranchi Division  
Vanbhavan-Ranchi  
Email: dforanchi2@gmail.com

**Subject:** Regarding raising demand of forest levies in respect to Stage-I clearance of 126.72 ha forest proposal of KDH OCP

Dear Sir,

This is to bring to your kind notice that KDH OCP, CCL has been accorded Stage-I forestry clearance for an area of 126.72 ha forest land by MoEF&CC vide letter no 8-62/2018-FC dated 27.02.2023. Copy of Stage-I enclosed for kind reference.

In this regard, a demand has been raised by your kind office vide letter no 1081 dated 23.03.2023 (Copy of letter enclosed), the details are as follows –

- (1) CA : Rs.5,88,47,687/- (Rs Five crore eighty eight lakh forty seven thousand six hundred eighty seven only.)
- (2) NPV – Rs 12,13,69,882/- (Rs twelve crore thirteen lakh sixty nine thousand eight hundred and eighty two only.)

However, in compliance of MoEF&CC guidelines vide ref F.No 11-599/2014-FC dated 01.04.2015 an amount of Rs 7,93,26,720 ( seven crore ninety three lakh twenty six thousand seven hundred twenty has been already paid in respect of current 126.72 ha Fe proposal of KDH OCP.

Hence, it was requested vide letter ref no GM(NK)/Sectt/09/2023/374 dated 24.03.2023 for revision of demand taking into consideration the above fact. Copy of letter enclosed

Thereafter vide letter no 1121 dated 27.03.2023 the demand was revised and it was instructed to submit the remaining amount i.e. Rs 10,08,90,849 in CAMPA. Copy of letter enclosed. The same was submitted in the office of Nodal Officer for acceptance. However the same was rejected citing that "CAEstimate is not as per the rate issued by APCCR, Development, Office Order no 281 dated 24.06.2023. Further CA estimate is not as per the current wage rate."

Thus it is kindly requested to revise the demand in respect of different forest levies which is to be submitted in CAMPA in accordance with the Stage-I clearance of KDH OCP, so that the same may be submitted at the earliest along with the other compliances for the grant of Stage-II.

This is for your kind information and further necessary action please.

Thanking You

Yours faithfully,

General Manager ( M )/  
Project Officer  
KDH OCP,  
NK Area Dakra

yfukujblk



एक मिनीरत्न कंपनी

# सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

## Central Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Limited)

NORTH KARANPURA AREA

P O DAKRA, RANCHI - 829210

PHONE: 06531-236014 (O) 236100 (R)

FAX: 06531-235115

No. GM(NK)/Sectt/09/2023/ ३७५

Date : 24.03.2023

To,  
The Divisional Forest Officer,  
Ranchi Division  
Doranda, Ranchi

Sub: Regarding revision of demand for payment against NPV and CA in respect of forestry diversion of 126.72 ha land for KDH OCP, NK Area, CCL.

Respected Sir,

This is to kindly bring to your information that for KDH OCP, CCL a diversion of 126.72 ha forest land was obtained vide letter F.No. 8/62/2018-FC dated 27.01.2023 by Ministry of Environment and forests (FC Division).

In this regards the following demand has been raised by your kind office vide letter no 1081 dated 23.03.2023:-

| S.No | Particulars | Amount       |
|------|-------------|--------------|
| 1    | CA          | 5,88,47,687  |
| 2    | NPV         | 12,13,69,882 |
|      | Total       | 18,02,17,569 |

This is to further bring to your kind information that CCL has already paid Rs 7,93,26,720/- against NPV in respect of KDH OCP 126.72 ha FC proposal. The details are enclosed for your kind reference. Thus taking into view the above consideration it is kindly requested to revise the demand in respect of forest leives as follows:

| S.No | Particulars | Amount       | Remarks                                    |
|------|-------------|--------------|--|
| 1    | CA          | 5,88,47,687  |  |
| 2    | NPV         | 4,20,43,162  | After deduction of already paid NPV amount |
|      | Total       | 10,08,90,849 |  |

Thus it is requested to kindly look into the matter for the needful so that the revised amount may be deposited in the CAMPA at the earliest for compliance of Stage -I conditions of the current proposal.

Thanking You.


Yours faithfully,

General Manager  
NK Area, Dakra

Encl: As above

Copy to:-

- 1) PCCF – HoFF, GOJ, Van Bhavan, Ranchi – For kind information.
- 2) General Manger (P&P), CCL HQ
- 3) HoD Forest , CCL HQ
- 4) Project Officer, KDH OCP
- 5) SO(P&P), NK Area



Affiliate of Coal India Limited

सेंट्रल कॉलफील्ड्स लिमिटेड  
(भारत सरकार बन एक उपकरण)  
(दरभंगा हाउस, रॅंची-834029)  
CENTRAL COALFIELDS LIMITED  
(Govt. of India Undertaking)  
Darbhanga House, Ranchi- 834 029  
कोर्टफ़ोन: (0651) 2360184 फैक्स: (0651) 2360184  
ईमेल/वेबसाइट: <http://www.ccl.gov.in>

Ref. no.: CCL/DGM/HOD (E&F)/2016/ 15

Date: 12.04.2016

To  
The DFO,  
Bokaro, Hazaribagh, Ramgarh, Ranchi, Chatra(S),  
Govt. of Jharkhand.

Sub: Information reg. payment of NPV of CCL-Projects as per circular of MoEF&CC, F.No.11-599  
/2014-FC dated 1<sup>st</sup> April 2015 of Govt. of India as well as demanded by State Forest Deptt.

Dear Sir,

As per the subject above, NPV of the following Projects of CCL (Enclosed in Annex.-A) has been deposited in CAMPA A/C of Jharkhand in Corporation Bank, CGO Complex, New Delhi an amount of Rs.220,50,41,439.00 on 31.03.2016 through RTGS/NEFT

If any NPV is left for the Projects of CCL, as the period of one year stipulated in the said guidelines issued vide letter no. 11-599/2014-FC dated 1<sup>st</sup> April 2015 is extended for a further period of six months i.e., till 30<sup>th</sup> September 2016 as per circular of MoEF&CC, F.No.11-85-20169-Fc dated 31<sup>st</sup> March 2016, will be paid within the stipulated period mentioned above.

This is for your kind information please.

Thanking you,

Yours faithfully,  
  
Dy. GM / HOD (Env. & Forest),  
Env. & Forest Dept., CCL

Encl: As Above.

o/c

- 1) This is a proposal for approval towards payment of NPV and other forest compensation as per circular of MOEF & CCF No.II-599/2014-FC dated 01/04/2015 of Government of India as well as demand raised by State Forest Department.
- 2) The total referred land of 3106.479 Ha as per Annexure-'A' covering 13 (thirteen) number of Projects for which NPV payment proposed by Forest & Environment Department HQ is Rs.2205041439/- In addition to above, compensatory aforestation payment of Rs.15 Crores in respect of 5 mines has also been proposed as per enclosed statement duly vetted by HOD(E&F).
- 3) Stage I clearance of the above referred land (Forest) is yet to be obtained.
- 4) Due to non-availability of stage I clearance, density of Forest on these land as per Annexure - 'A' has been taken from the adjacent land for which stage II clearance obtained and payment has also been made.
- 5) The present rates of NPV according to density of the forest as per notes of HOD(E&F), CCL at page N/8 is as follows.

|      | Density                         | NPV                 |
|------|---------------------------------|---------------------|
| (i)  | 0.3 and below                   | Rs.6.26 Lakh/Hectre |
| (ii) | More than 0.3 and less than 0.7 | Rs.8.03 Lakh/Hectre |

Accordingly the amount of NPV has been derived & proposed by E&F Department to be paid as follows:

|    | Name of the Project | Forest Area applied ('ha)  | Density | Rate in Lakhs/Ha | Amount payable |
|----|---------------------|----------------------------|---------|------------------|----------------|
| 1  | Rajrappa            | 562.900                    | 0.3     | 6.26             | 352375400      |
| 2  | Urimuri OCP         | 202.470                    | 0.3     | 6.26             | 126746220      |
| 3  | Amlo                | 39.664                     | 0.3     | 6.26             | 24829664       |
| 4  | Tarmi               | 97.440                     | 0.1     | 6.26             | 60997440       |
| 5  | Govindpur           | 10.520                     | 0.4     | 8.03             | 85885520       |
| 6  | Pundi Exp OCP       | 595.530                    | 0.4     | 8.03             | 478210500      |
| 7  | KDH                 | 126.720                    | 0.3     | 6.26             | 79326720       |
| 8  | Kenar               | 93.580                     | 0.4     | 8.03             | 75144740       |
| 9  | Churi Bentu Pr      | 198.160                    | 0.6     | 8.03             | 159122480      |
| 10 | Kuju                | 106.650                    | 0.2     | 6.26             | 66762900       |
| 11 | Topa                | 489.010                    | 0.3     | 6.26             | 306120260      |
| 12 | Amrapali            | 432.590                    | 0.4     | 8.03             | 347369740      |
| 13 | Churi UGP           | 151.245<br>(50% of 302.49) | 0.6     | 8.03             | 121449735      |
|    |                     | 3106.479                   |         |                  | 2205041439     |

Note: (i) As per Annexure 'A' Sl. No.5 rate considered Rs.6.26 Lakh/Ha instead of Rs.8.03 Lakh/Ha  
(ii) Sl. No.13 only 50% amount has been considered

61 As mentioned at point No.1, In reference to letter of Shri H.C. Chaudhary, Director, Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi vide F. No.II-599/2014-FC dated 1<sup>st</sup> April 2015 informed the Principal Secretary (Forests), All State/Union Territory Governments regarding guidelines for

**S N GANGULI ROAD, RANCHI**

Tel: 0651 - 2204755/ 2205569  
FAX: 0651 - 2205601  
E-mail: b00404@poo.co.in

M/S CCL DARBHANGA HOUSE  
DARBHANGA HOUSE

RANCHI JHARKHAND  
834001 INDIA

12.04.2016

DEAR SIR/MADAM,

**REG: CONFIRMATION OF YOUR RTGS FOR RS.220,50,00,000 &NEFT FOR RS. 41,439/-**

This IS TO CERTIFY THAT WE HAVE MADE THE RTGS FOR RS.220,50,00,000/- TO CAF AC JHARKHAND ACCOUNT NO 037100101025212, IFSC CODE CORP0000371 AND NEFT FOR RS. 41,439/- TO CAF AC JHARKHAND. ACCOUNT NO. 037100101025212, IFSC CODE CORP0000371 ON 31.03.2016. WHICH STATUS SHOWS AS SETTLED.

THIS IS FOR YOUR INFORMATION PLEASE

MANAGER

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण (स्थल विशिष्ट प्राक्कलन)

प्रयोगता अभिकरण :-

योजना का नाम :-

स्थल का नाम -

शुद्ध रकवा है ० में -

मजदूरी दर

भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना - बन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

मायापूर थाना- बुढ़मू थाना नं-० ७ प्लॉट नं- 276, 275, 274, 327

80.10 हेठो कुल रकवा है० - 85.00

346.01 प्रति मानव दिवस पौधों की स०- 1666 पौधा प्रति है०

स्पेसिंग :- (३ मी० x २ मी०) (रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर ) (धेरान की लम्बाई- 291.46 फैट)

| क्र० सं०   | कार्य की विवरणी | अनुसूची दर      |         |           |            | प्रस्तावित व्यय |            |     | अन्युकृति |
|--|-----------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------|------------|-----|-----------|
|  |                 | मात्रा दि०/हेठो | मजदूरी  | सामग्री   | कुल        | मजदूरी          | सामग्री    | कुल |           |
| <b>(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 346.01</b>                             |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 1(A) सर्वेक्षण एवं सीमान   | 3               | 1038.03         | 50.00   | 1088.03   | 83146.20   | 4005.00         | 87151.20   |     |           |
| 1(B) स्थायी वन सीमा स्तम्भ ( 34 पीलर)  | 6.48            | 2242.14         | 2428.10 | 4670.24   | 76232.92   | 82555.40        | 158788.32  |     |           |
| 2 झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)   | 7               | 2422.07         | 0.00    | 2422.07   | 194007.81  | 0.00            | 194007.81  |     |           |
| 3 ट्रैच धेरान  |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 1) मशीन द्वारा- 291.46 (प्रति फैट)   | 2               | 692.02          | 2657.15 | 3349.17   | 201696.15  | 774452.94       | 976149.09  |     |           |
| 2) पालर द्वारा - (प्रति फैट)   | 0               | 0.00            | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00       |     |           |
| 4 मूदा कार्य ( ०.३मी० x ०.३ मी० x ०.३ मी०) 1000 पीट प्रति है० (संरक्षण एवं मूदा प्रोकार्ड लिट सहित)                              | 36.50           | 12629.37        | 0.00    | 12629.37  | 1011612.14 | 0.00            | 1011612.14 |     |           |
| 5 अरा पौधाशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित ( 20 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ)  | 16.50           | 5709.17         | 0.00    | 5709.17   | 457304.12  | 0.00            | 457304.12  |     |           |
| 6 सामग्री (पौधाशाला धैली, बीज, खाद उर्वरक खाद, रसायन, पौधाशाला तथा धेरान सामग्री आदि)  | 0               | 0.00            | 3373.65 | 3373.65   | 0.00       | 270229.37       | 270229.37  |     |           |
| 7 मूदा एवं जल संरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डेम/कट्टर आदि आवश्यकतानुसार   | 55              | 19030.55        | 0.00    | 19030.55  | 1524347.06 | 0.00            | 1524347.06 |     |           |
| 8 सिल्ट डिटेनेशन डेम, चंक डेम, स्टिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉर्पेण्ट नियंत्रण कार्य आदि                         | 25              | 8650.25         | 0.00    | 8650.25   | 692885.03  | 0.00            | 692885.03  |     |           |
| 9 गली प्लगिंग  | 10              | 3460.10         | 0.00    | 3460.10   | 277154.01  | 0.00            | 277154.01  |     |           |
| 10 लेवर सेस मजदूरी का १ प्रतिशत  |                 |                 |         |           | 45183.85   | 0.00            | 45183.85   |     |           |
| 11 विविध कार्य (छायाकान, साईन बोर्ड आदि)   | 0               | 0.00            | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 20025.00        | 20025.00   |     |           |
| <b>(क) प्रथम वर्ष योजना की कुल लागत राशि</b>   |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| <b>(ख) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि</b>   |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 12 प्रवेश बिन्दु (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि का १५ प्रतिशत)   |                 |                 |         |           | 575521.97  | 863282.95       | 1438804.92 |     |           |
| कुल :-   | 161             | 55873.69        | 8758.90 | 64632.59  | 5139091.25 | 2014550.66      |            |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-  |                 |                 |         |           | 0.00       | 362619.12       | 0.00       |     |           |
| कुल योग :-   | 161             | 55873.69        | 8758.90 | 64632.59  | 5139091.25 | 2377169.77      | 7516261.02 |     |           |
| <b>(ग) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में १५ प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 397.91</b>     |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 1 अरा पौधाशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित  | 21.50           | 8555.07         | 666.40  | 9221.47   | 685260.71  | 53378.64        | 738639.35  |     |           |
| 2 वृक्षारोपण   | 36.50           | 14523.72        | 0.00    | 14523.72  | 1163349.57 | 0.00            | 1163349.57 |     |           |
| 3 दो कोडनी एवं निकोनी  | 41.50           | 16513.27        | 0.00    | 16513.27  | 1322712.53 | 0.00            | 1322712.53 |     |           |
| 4 ट्रैच वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपण  | 2               | 795.82          | 0.00    | 795.82    | 63745.18   | 0.00            | 63745.18   |     |           |
| 5 पौधों की सुरक्षा- 25 हॉ से अधिक  | 550             | 218850.50       | 0.00    | 218850.50 | 218850.50  | 0.00            | 218850.50  |     |           |
| 6 सामग्री (बीज, उर्वरक, आदि)   | 0               | 0.00            | 3936.76 | 3936.76   | 0.00       | 315334.48       | 315334.48  |     |           |
| 7 विविध कार्य (छायाकान, प्रचार-प्रसार)   | 0               | 0.00            | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 20025.00        | 20025.00   |     |           |
| 8 लेवर सेस मजदूरी का १ प्रतिशत   |                 |                 |         |           | 34539.18   | 0.00            | 34539.18   |     |           |
| कुल :-   | 651.50          | 259238.37       | 4853.16 | 264091.53 | 3488457.67 | 388738.12       | 3877195.79 |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-  |                 |                 |         |           | 0.00       | 69972.86        | 0.00       |     |           |
| कुल योग :-   | 651.50          | 259238.37       | 4853.16 | 264091.53 | 3488457.67 | 458710.98       | 3947168.65 |     |           |
| <b>(ग) सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में १५ प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 457.80</b> |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 1 एक कोडनी निकोनी  | 23              | 10524.80        | 0.00    | 10524.80  | 843036.48  | 0.00            | 843036.48  |     |           |
| 2 सामग्री (युरिया, जैविक खाद आदि)  | 0               | 0.00            | 2365.00 | 2365.00   | 0.00       | 189436.50       | 189436.50  |     |           |
| 3 पौधों की सुरक्षा- 25 हॉ से अधिक  | 730             | 334048.00       | 0.00    | 334048.00 | 334048.00  | 0.00            | 334048.00  |     |           |
| 4 धेरान मरम्मति (प्रति फैट) 291.46 फैट   | 1               | 457.60          | 0.00    | 457.60    | 133372.10  | 0.00            | 133372.10  |     |           |
| 5 मूदा पौधों का प्रतिस्थापन  | 7               | 3203.20         | 1670.00 | 4873.20   | 256576.32  | 133767.00       | 390343.32  |     |           |
| 6 लेवर सेस मजदूरी का १ प्रतिशत   |                 |                 |         |           | 15670.33   | 0.00            | 15670.33   |     |           |
| कुल :-   | 761             | 348233.60       | 4035.00 | 352268.60 | 1582703.22 | 323203.50       | 1905906.72 |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-  |                 |                 |         |           | 0.00       | 58176.63        | 0.00       |     |           |
| कुल योग :-   | 761             | 348233.60       | 4035.00 | 352268.60 | 1582703.22 | 381380.13       | 1964083.35 |     |           |
| <b>(घ) सम्पोषण कार्य (चतुर्ती वर्ष) चतुर्ती वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में १५ प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 526.24</b> |                 |                 |         |           |            |                 |            |     |           |
| 1 एक कोडनी निकोनी  | 23              | 12103.52        | 0.00    | 12103.52  | 969491.95  | 0.00            | 969491.95  |     |           |
| 2 सामग्री (युरिया, जैविक खाद आदि)  | 0               | 0.00            | 2365.00 | 2365.00   | 0.00       | 189436.50       | 189436.50  |     |           |
| 3 पौधों की सुरक्षा- 25 हॉ से अधिक  | 730             | 384155.20       | 0.00    | 384155.20 | 384155.20  | 0.00            | 384155.20  |     |           |
| 4 मूदा पौधों का प्रतिस्थापन  | 3.50            | 1841.84         | 835.00  | 2676.84   | 147531.38  | 66883.50        | 214414.88  |     |           |
| 5 लेवर सेस मजदूरी का १ प्रतिशत   |                 |                 |         |           | 15011.79   | 0.00            | 15011.79   |     |           |
| कुल :-   | 757             | 398100.56       | 3200.00 | 401300.56 | 1516190.32 | 256320.00       | 1772510.32 |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-  |                 |                 |         |           | 0.00       | 46137.60        | 0.00       |     |           |
| कुल योग :-   | 757             | 398100.56       | 3200.00 | 401300.56 | 1516190.32 | 302457.60       | 1818647.92 |     |           |

|     |   |      |            |          |            |             |             |
|-----|---|------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| (ब) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 605.18     |      |            |          |            |             |             |
| 1   | एक कोडनी निजौनी   | 23   | 13919.14   | 0.00     | 13919.14   | 1114923.11  | 0.00        |
| 2   | सामग्री (तुरिया, जैविक खाद आदि)   | 0    | 0.00       | 2365.00  | 2365.00    | 0.00        | 1114923.11  |
| 3   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 220890.70  | 0.00     | 220890.70  | 220890.70   | 0.00        |
| 4   | धेरान की मरम्मति (प्रति चैन) 291.46 चैन   | 1    | 605.18     | 0.00     | 605.18     | 176385.76   | 0.00        |
| 5   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 15122.00    | 0.00        |
|     | कुल :-  | 389  | 235415.02  | 2365.00  | 237780.02  | 1527321.57  | 189436.50   |
|     | सामग्री मद में GST 18% कुल :-   | 389  | 235415.02  | 2365.00  | 237780.02  | 1527321.57  | 1716758.07  |
|     | कुल योग :-  | 389  | 235415.02  | 2365.00  | 237780.02  | 1527321.57  | 223535.07   |
| (च) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) पंचम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 695.96       |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 254025.40   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 2540.25     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 256565.65   | 0.00        |
| (छ) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 800.35     |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 292127.75   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 2921.28     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 295049.03   | 0.00        |
| (ज) | सम्पोषण कार्य (अचृत्म वर्ष) सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 920.40    |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 335946.00   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 3359.46     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 339305.46   | 0.00        |
| (झ) | सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) अचृत्म वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1058.46     |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 30 हेतु तक   | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 386337.90   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 3863.38     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 390201.28   | 0.00        |
| (त) | सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) नवम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1217.23        |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 444288.95   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 4442.89     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 448731.84   | 0.00        |
| (थ) | सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष) दशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1399.81     |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 510930.65   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 5109.31     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 516039.96   | 0.00        |
| (द) | सम्पोषण कार्य (दोवादशम वर्ष) एकादशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1609.78 |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पीढ़ी की सुखा- 25 हेतु तक   | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 587569.70   | 0.00        |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 5875.70     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 593445.40   | 0.00        |
|     | सकल योग :-  | 5274 | 4108087.59 | 23212.06 | 4131299.65 | 16093102.65 | 3743253.55  |
|     |   |      |            |          |            |             | 19836356.20 |
|     |   |      |            |          |            | या /        | 19836356.00 |

नोट :-

1. उक्त प्रावकलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, आरखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश स0 - 01 / यो०२०-३०/२०२०-०९ ज्ञापाक 281 दिनांक 26.04.2023 के आधार पर तैयार किया गया है।

2. द्वितीय वर्ष से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मजदूरी दर में बढ़ोतारी की गई है।
3. सामग्री एवं आपूर्ति मद में 18% GST जोड़कर प्रावकलन तैयार किया गया है।

| सारांश                                    | मजदूरी      | सामग्री GST<br>18% | कुल         |
|---|-------------|--------------------|-------------|
| अग्रिम कार्य (पंचम वर्ष) वर्ष 2023-24     | 5139091.25  | 2377169.77         | 7516261.02  |
| समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) वर्ष 2024-25   | 3488457.67  | 458710.98          | 3947168.65  |
| सम्पोषण कार्य (तुरिय वर्ष) वर्ष 2025-26   | 1582703.22  | 381380.13          | 1964083.35  |
| सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) वर्ष 2026-27  | 1516190.32  | 302457.60          | 1818647.92  |
| सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) वर्ष 2027-28    | 1527321.57  | 223535.07          | 1750856.64  |
| सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) वर्ष 2028-29   | 256565.65   | 0.00               | 256565.65   |
| सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) वर्ष 2029-30   | 295049.03   | 0.00               | 295049.03   |
| सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) वर्ष 2030-31   | 339305.46   | 0.00               | 339305.46   |
| सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) वर्ष 2031-32     | 390201.28   | 0.00               | 390201.28   |
| सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) वर्ष 2032-33     | 448731.84   | 0.00               | 448731.84   |
| सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष) वर्ष 2033-34  | 516039.96   | 0.00               | 516039.96   |
| सम्पोषण कार्य (दोवादशम वर्ष) वर्ष 2034-35 | 593445.40   | 0.00               | 593445.40   |
| योग :-                                    | 16093102.65 | 3743253.55         | 19836356.20 |
| या रु०:-                                  | 16093103.00 | 3743254.00         | 19836357.00 |

कुल प्रावकलित राशि (एक करोड़ अन्तानवे लाख छत्तीस हजार तीन सौ संतावन) मात्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

जॉचा

Sonam

सहायक वन संरक्षक,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

समर्पित

6

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
बुढमू वन क्षेत्र, माण्डर।

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण (स्थल विशिष्ट प्राक्कलन)

प्रयोगकर्ता अधिकरण :-

योजना का नाम :-

स्थल का नाम -

शुद्ध रकवा हॉ म -

मजदूरी दर

स्थिति :- (3 मी० x 2 मी०) (रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर) (घेरान की लम्बाई- 515.83 चैन)

भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना- वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

|        |              |                 |               |                             |
|--------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| कोटारी | थाना- बुढ़मू | थाना नं०- 66    | प्लॉट नं०-    | 854, 556, 136, 163, 92, 566 |
| 104.16 | हॉ           |                 | कुल रकवा हॉ - | 110.00                      |
| 346.01 |              | प्रति मानव दिवस | पौधों की स०-  | 1666 पौधा प्रति हॉ          |

| क्र० सं०  | कार्य की विवरणी | अनुदूरी दर  |         |           |            | प्रस्तावित यथा |             |            |           |
|---|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|
|   |                 | मा० दि०/डे० | मजदूरी  | सामग्री   | कुल        | मजदूरी         | सामग्री     | कुल        | अन्युक्ति |
| (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधिक कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 346.01                             |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| 1(A) संरक्षण एवं सीमाकरण  | 3               | 1038.03     | 50.00   | 1088.03   | 108121.20  | 5208.00        | 113329.20   |            |           |
| 1(B) स्थायी वन सीमा स्तम्भ ( 86 पीलर)   | 6.48            | 2242.14     | 2428.10 | 4670.24   | 192824.45  | 208816.60      | 401641.05   |            |           |
| 2 झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)  | 7               | 2422.07     | 0.00    | 2422.07   | 252282.81  | 0.00           | 252282.81   |            |           |
| 3 ट्रैच घेरान   |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| 1) मरीन द्वारा- 515.83 (प्रति चैन)  | 2               | 692.02      | 2657.15 | 3349.17   | 356964.68  | 1370637.68     | 1727602.36  |            |           |
| 2) पत्थर द्वारा - (प्रति चैन)   | 0               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00        |            |           |
| 4 मृदा कार्य ( 0.3मी० 0.3 मी० 0.3 मी०) 1000 पीट प्रति हॉ (संरक्षण एवं मृदा प्रोकाइल घिट सहित)                           | 36.50           | 12629.37    | 0.00    | 12629.37  | 1315474.66 | 0.00           | 1315474.66  |            |           |
| 5 अश पौधाशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित ( 20 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ)  | 16.50           | 5709.17     | 0.00    | 5709.17   | 594666.63  | 0.00           | 594666.63   |            |           |
| 6 सामग्री (पौलीधीन धैली, बीज, खाद उत्करक खाद, रसासन, पौधाशाला तथा घेरान सामग्री आदि)                                    | 0               | 0.00        | 3373.65 | 3373.65   | 0.00       | 351399.38      | 351399.38   |            |           |
| 7 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट रिट्रैशन डेम/कट्टूर आदि आवश्यकतानुसार                                   | 55              | 19030.55    | 0.00    | 19030.55  | 1982222.09 | 0.00           | 1982222.09  |            |           |
| 8 सिल्ट डिट्रैशन डेम, धैक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, दो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि                    | 25              | 8650.25     | 0.00    | 8650.25   | 901010.04  | 0.00           | 901010.04   |            |           |
| 9 गली प्लगिंग   | 10              | 3460.10     | 0.00    | 3460.10   | 360404.02  | 0.00           | 360404.02   |            |           |
| 10 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत   |                 |             |         |           | 60639.71   | 0.00           | 60639.71    |            |           |
| 11 विविध कार्य (छायाकरन, साइन बोर्ड आदि)  | 0               | 0.00        | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 26040.00       | 26040.00    |            |           |
| (क) प्रथम वर्ष योजना की कुल लागत राशि   |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| (ख) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि   |                 |             |         |           |            |                |             | 8086711.95 |           |
| 12 प्रवेश विन्दु (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत)  |                 |             |         |           | 783727.45  | 1175591.17     | 1959318.62  |            |           |
| कुल :-  | 161             | 55873.69    | 8758.90 | 64632.59  | 6908337.73 | 3137692.84     | 1959318.62  |            |           |
| सामग्री नद में GST 18% कुल :-   |                 |             |         |           | 0.00       | 564784.71      | 0.00        |            |           |
| कुल योग :-  | 161             | 55873.69    | 8758.90 | 64632.59  | 6908337.73 | 3702477.55     | 10610815.28 |            |           |
| (ख) समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष) प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 397.91  |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| 1 अश पौधाशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित  | 21.50           | 8555.07     | 666.40  | 9221.47   | 891095.57  | 69412.22       | 960507.79   |            |           |
| 2 वृक्षारोपण  | 36.50           | 14523.72    | 0.00    | 14523.72  | 1512790.15 | 0.00           | 1512790.15  |            |           |
| 3 दो कोड़नी एवं निकोनी  | 41.50           | 16513.27    | 0.00    | 16513.27  | 1720021.68 | 0.00           | 1720021.68  |            |           |
| 4 ट्रैच वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण   | 2               | 795.82      | 0.00    | 795.82    | 82892.61   | 0.00           | 82892.61    |            |           |
| 5 पौधों की सुखा- 25 हॉ से अधिक  | 550             | 218850.50   | 0.00    | 218850.50 | 218850.50  | 0.00           | 218850.50   |            |           |
| 6 सामग्री (बीज, उर्वरक, आदि)  | 0               | 0.00        | 3936.76 | 3936.76   | 0.00       | 410052.92      | 410052.92   |            |           |
| 7 विविध कार्य (छायाकरन, प्रदार-प्रसार)  | 0               | 0.00        | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 26040.00       | 26040.00    |            |           |
| 8 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |             |         |           | 44256.51   | 0.00           | 44256.51    |            |           |
| कुल :-  | 651.50          | 259238.37   | 4853.16 | 264091.53 | 4469907.02 | 505505.15      | 4975412.17  |            |           |
| सामग्री नद में GST 18% कुल :-   |                 |             |         |           | 0.00       | 90990.93       | 0.00        |            |           |
| कुल योग :-  | 651.50          | 259238.37   | 4853.16 | 264091.53 | 4469907.02 | 596496.07      | 5066403.10  |            |           |
| (ग) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 457.60 |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| 1 एक कोड़नी निकोनी  | 23              | 10524.80    | 0.00    | 10524.80  | 1096263.17 | 0.00           | 1096263.17  |            |           |
| 2 सामग्री (पुरिया, जैविक खाद आदि)   | 0               | 0.00        | 2365.00 | 2365.00   | 0.00       | 246338.40      | 246338.40   |            |           |
| 3 पौधों की सुखा- 25 हॉ से अधिक  | 730             | 334048.00   | 0.00    | 334048.00 | 334048.00  | 0.00           | 334048.00   |            |           |
| 4 घेरान मरम्मति (प्रति चैन) 515.83 चैन  | 1               | 457.60      | 0.00    | 457.60    | 236043.81  | 0.00           | 236043.81   |            |           |
| 5 मृत पौधों का प्रतिस्थापन  | 7               | 3203.20     | 1670.00 | 4873.20   | 333645.31  | 173947.20      | 507592.51   |            |           |
| 6 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |             |         |           | 20000.00   | 0.00           | 20000.00    |            |           |
| कुल :-  | 761             | 348233.60   | 4035.00 | 352268.60 | 2020000.29 | 420285.60      | 2440285.89  |            |           |
| सामग्री नद में GST 18% कुल :-   |                 |             |         |           | 0.00       | 75651.41       | 0.00        |            |           |
| कुल योग :-  | 761             | 348233.60   | 4035.00 | 352268.60 | 2020000.29 | 495937.01      | 2515937.30  |            |           |
| (घ) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 526.24  |                 |             |         |           |            |                |             |            |           |
| 1 एक कोड़नी निकोनी  | 23              | 12103.52    | 0.00    | 12103.52  | 1260702.64 | 0.00           | 1260702.64  |            |           |
| 2 सामग्री (पुरिया, जैविक खाद आदि)   | 0               | 0.00        | 2365.00 | 2365.00   | 0.00       | 246338.40      | 246338.40   |            |           |
| 3 पौधों की सुखा- 25 हॉ से अधिक  | 730             | 384155.20   | 0.00    | 384155.20 | 384155.20  | 0.00           | 384155.20   |            |           |
| 4 मृत पौधों का प्रतिस्थापन  | 3.50            | 1841.84     | 835.00  | 2676.84   | 191846.05  | 86973.60       | 278819.65   |            |           |
| 5 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |             |         |           | 18367.04   | 0.00           | 18367.04    |            |           |
| कुल :-  | 757             | 398100.56   | 3200.00 | 401300.56 | 1855070.94 | 333312.00      | 2188382.94  |            |           |
| सामग्री नद में GST 18% कुल :-   |                 |             |         |           | 0.00       | 59996.16       | 0.00        |            |           |
| कुल योग :-  | 757             | 398100.56   | 3200.00 | 401300.56 | 1855070.94 | 393308.16      | 2248379.10  |            |           |

|     |   |  |            |          |            |             |                  |
|-----|---|--|------------|----------|------------|-------------|------------------|
| (ज) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष )              | घटुर्ध वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 605.18  |            |          |            |             |                  |
| 1   | एक कोडनी निकौपी                         | 23   | 13919.14   | 0.00     | 13919.14   | 1449817.62  | 0.00             |
| 2   | सामग्री (त्रितीय, जैविक खाद आदि)        | 0  | 0.00       | 2365.00  | 2365.00    | 0.00        | 1449817.62       |
| 3   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 220890.70  | 0.00     | 220890.70  | 246338.40   | 246338.40        |
| 4   | धेनान की मरम्मति (प्रति चैन) 515.83 चैन | 1  | 605.18     | 0.00     | 605.18     | 312170.00   | 220890.70        |
| 5   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 19828.78    | 312170.00        |
|     | कुल :-                                  | 389  | 235415.02  | 2365.00  | 237780.02  | 2002707.11  | 246338.40        |
|     | सामग्री मद में GST 18% कुल :-           |  |            |          |            | 0.00        | 2249045.51       |
|     | कुल योग :-                              | 389  | 235415.02  | 2365.00  | 237780.02  | 2002707.11  | 0.00             |
| (च) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष )              | पंचम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 695.96    |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 254025.40   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 2540.25     | 2540.25          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 256565.65   | 0.00             |
| (छ) | सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष )             | बष्टम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 800.35   |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 292127.75   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 2921.28     | 2921.28          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 295049.03   | 0.00             |
| (ज) | सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष )             | सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 920.40   |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 335946.00   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 3359.46     | 3359.46          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 339305.46   | 0.00             |
| (झ) | सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष )               | अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1058.46  |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 30 हें तक                | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 386337.90   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 3863.38     | 3863.38          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 390201.28   | 0.00             |
| (त) | सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष )               | नवम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1217.23    |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 444288.95   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 4442.89     | 4442.89          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 448731.84   | 0.00             |
| (थ) | सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष )            | दशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1399.81    |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 510930.65   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 5109.31     | 5109.31          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 516039.96   | 0.00             |
| (द) | सम्पोषण कार्य (दोवादशम वर्ष )           | एकादशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1609.78 |            |          |            |             |                  |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक                | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 587569.70   | 0.00             |
| 2   | लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत            |  |            |          |            | 5875.70     | 5875.70          |
|     | कुल :-                                  | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 593445.40   | 0.00             |
|     | सकल योग :-                              | 5274   | 4108087.59 | 23212.06 | 4131299.65 | 20095361.70 | 5478898.10       |
|     |   |  |            |          |            |             | या / 25574259.80 |

नोट :-

- उक्त प्रावकलन प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0 - 01 / यो0बा-30-2020- 09 ज्ञापांक 281 दिनांक 26.04.2023 के आधार पर तैयार किया गया है।
- द्वितीय वर्ष से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मजदूरी दर में बढ़ोतारी की गई है।
- सामग्री एवं आपूर्ति मद में 18% GST जोड़कर प्रावकलन तैयार किया गया है।

| सारणी                                     | मजदूरी      | सामग्री GST 18% | कुल         |
|---|-------------|-----------------|-------------|
| अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) वर्ष 2023-24    | 6908337.73  | 3702477.55      | 10610815.28 |
| समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) वर्ष 2024-25   | 4469907.02  | 596496.07       | 5066403.10  |
| सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) वर्ष 2025-26   | 2020000.29  | 495937.01       | 2515937.30  |
| सम्पोषण कार्य (घटुर्ध वर्ष) वर्ष 2026-27  | 1855070.94  | 393308.16       | 2248379.10  |
| सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) वर्ष 2027-28    | 2002707.11  | 290679.31       | 2293386.42  |
| सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) वर्ष 2028-29   | 256565.65   | 0.00            | 256565.65   |
| सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) वर्ष 2029-30   | 295049.03   | 0.00            | 295049.03   |
| सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) वर्ष 2030-31   | 339305.46   | 0.00            | 339305.46   |
| सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) वर्ष 2031-32     | 390201.28   | 0.00            | 390201.28   |
| सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) वर्ष 2032-33     | 448731.84   | 0.00            | 448731.84   |
| सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष) वर्ष 2033-34  | 516039.96   | 0.00            | 516039.96   |
| सम्पोषण कार्य (दोवादशम वर्ष) वर्ष 2034-35 | 593445.40   | 0.00            | 593445.40   |
| योग :-                                    | 20095361.70 | 5478898.10      | 25574259.80 |
| या रु:-                                   | 20095362.00 | 5478898.00      | 25574260.00 |

कुल प्रावकलित राशि (दो करोड़ पचपन लाख चौहत्तर हजार दो सौ साठ) मात्र।

जॉचा

सहायक वन संसरक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
बुढमू वन क्षेत्र, माण्डर।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण (स्थल विशिष्ट प्राक्कलन)

प्रयेक्ता अभिकरण :-

योजना का नाम :-

स्थल का नाम -

शुद्ध रकमा हो में -

मजदूरी दर

स्पेसिंग - 3 मी० X 3 मी० / 2 मी० X 2 मी० (रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर) (धेरान की लम्बाई - 462.85 चैन)

### अवकृष्ट वर्षों का पुर्णवास योजना

|        |                 |             |               |                          |
|--------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|
| ठातमा  | थाना- माण्डर    | थाना नं०-३८ | प्लॉट नं०-    | 612, 587, 585, 531, 1135 |
| 70.80  | हेठो            |             | कुल रकमा हो - | 75.00                    |
| 346.01 | प्रति मानव दिवस |             | पौधों की सौ-  | 1000 पौधा प्रति हेठो     |

| क्र० सं०  | कार्य की विवरणी | अनुसूची दर   |         |           |            | प्रस्तावित व्यय |             |     |           |
|---|-----------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----|-----------|
|   |                 | मात्र दिओ/डॉ | मजदूरी  | सामग्री   | कुल        | मजदूरी          | सामग्री     | कुल | अन्युक्ति |
| (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 346.01                              |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 1(A) सरक्षण एवं सीमांकन   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 1(B) स्थायी वन सीमा स्तम्भ ( 54 पीलर)   | 3               | 1038.03      | 50.00   | 1088.03   | 73492.52   | 3540.00         | 77032.52    |     |           |
| 2 झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)  | 6.48            | 2242.14      | 2428.10 | 4670.24   | 121075.82  | 131117.40       | 252193.22   |     |           |
| 2.1 कटवेक/कॉपसिंग, कलाइन्वर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि  | 7               | 2422.07      | 0.00    | 2422.07   | 171482.56  | 0.00            | 171482.56   |     |           |
| 3 ट्रैच धेरान   | 10              | 3460.10      | 0.00    | 3460.10   | 244975.08  | 0.00            | 244975.08   |     |           |
| 1) मरीन छारा - 462.25 (प्रति चैन)   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 2) घटार छारा - (प्रति चैन)  | 2               | 692.02       | 2657.15 | 3349.17   | 319886.25  | 1228267.59      | 1548153.83  |     |           |
| 4 मृदा कार्य ( 0.3मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी० ) ०.०२७ क्यू० मी० 1000 पी० प्रति हेठो (सरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)       | 22.00           | 7612.22      | 0.00    | 7612.22   | 538945.18  | 0.00            | 538945.18   |     |           |
| 5 अशा पौधाशाला कार्य राजि प्रहरी सहित   | 10.00           | 3460.10      | 0.00    | 3460.10   | 244975.08  | 0.00            | 244975.08   |     |           |
| 6 सामग्री (पॉलीथीन थैली, बीज, खाद उर्वरक खाद, रसायन, पौधाशाला तथा धेरान सामग्री आदि)                                      | 0               | 0.00         | 2025.00 | 2025.00   | 0.00       | 143370.00       | 143370.00   |     |           |
| 7 मृदा एवं जल सरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनन डेम/कट्टर आदि आवश्यकतानुसार 98 Contour/ha. 5mx0.30mx0.30m           | 45              | 15570.45     | 0.00    | 15570.45  | 1102387.86 | 0.00            | 1102387.86  |     |           |
| 10 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 11 विविध कार्य (छायांकन, साइन बोर्ड आदि)  | 0               | 0.00         | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 17700.00        | 17700.00    |     |           |
| प्रथम वर्ष योजना की कुल लागत राशि   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 12 प्रवेश बिन्दु (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत)  |                 |              |         |           | 394072.76  | 591109.14       | 985181.90   |     |           |
| कुल :-  | 105             | 36497.13     | 7410.25 | 43907.38  | 3239465.30 | 2115104.13      | 16291836.29 |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-   |                 |              |         |           | 0.00       | 380718.74       | 0.00        |     |           |
| कुल योग :-  | 105             | 36497.13     | 7410.25 | 43907.38  | 3239465.30 | 2495822.87      | 5735288.17  |     |           |
| (ख) समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष) प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 397.91    |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 1 अशा पौधाशाला कार्य राजि प्रहरी सहित   | 13.00           | 5172.83      | 400.00  | 5572.83   | 366236.36  | 28320.00        | 394556.36   |     |           |
| 2 बुकारोपण  | 22.00           | 8754.02      | 0.00    | 8754.02   | 619784.62  | 0.00            | 619784.62   |     |           |
| 3 दो कोडनी एवं निकौनी   | 25.00           | 9947.75      | 0.00    | 9947.75   | 704300.70  | 0.00            | 704300.70   |     |           |
| 4 ट्रैच वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपण   | 2               | 795.82       | 0.00    | 795.82    | 56344.06   | 0.00            | 56344.06    |     |           |
| 5 पौधों की सुख्ता- 25 हेठो से 50 हेठो तक  | 550             | 218850.50    | 0.00    | 218850.50 | 218850.50  | 0.00            | 218850.50   |     |           |
| 6 सामग्री (बीज, उर्वरक, आदि)  | 0               | 0.00         | 2363.00 | 2363.00   | 0.00       | 167300.40       | 167300.40   |     |           |
| 7 विविध कार्य (छायांकन, प्रचार-प्रसार)  | 0               | 0.00         | 250.00  | 250.00    | 0.00       | 17700.00        | 17700.00    |     |           |
| 8 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |              |         |           | 19655.16   | 0.00            | 19655.16    |     |           |
| कुल :-  | 612.00          | 243520.92    | 3013.00 | 246533.92 | 1985171.40 | 213320.40       | 2198491.80  |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-   |                 |              |         |           | 0.00       | 38397.67        | 0.00        |     |           |
| कुल योग :-  | 612.00          | 243520.92    | 3013.00 | 246533.92 | 1985171.40 | 251718.07       | 2236889.47  |     |           |
| (ग) सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 457.80 |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 1 एक कोडनी निकौनी   | 14              | 6406.40      | 0.00    | 6406.40   | 453573.12  | 0.00            | 453573.12   |     |           |
| 2 सामग्री (युरिया, जैविक खाद आदि)   | 0               | 0.00         | 1419.86 | 1419.86   | 0.00       | 100526.09       | 100526.09   |     |           |
| 3 पौधों की सुख्ता- 25 हेठो से 50 हेठो तक  | 730             | 334048.00    | 0.00    | 334048.00 | 334048.00  | 0.00            | 334048.00   |     |           |
| 4 धेरान मरम्मति (प्रति चैन) 462.25 चैन  | 1               | 457.60       | 0.00    | 457.60    | 211525.60  | 0.00            | 211525.60   |     |           |
| 5 मृत पौधों का प्रतिरक्षण   | 4.4             | 2013.44      | 1000.00 | 3013.44   | 142551.55  | 70800.00        | 213351.55   |     |           |
| 6 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |              |         |           | 11416.98   | 0.00            | 11416.98    |     |           |
| कुल :-  | 749             | 342925.44    | 2419.86 | 345345.30 | 1153115.25 | 171326.09       | 1324441.34  |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-   |                 |              |         |           | 0.00       | 30838.70        | 0.00        |     |           |
| कुल योग :-  | 749             | 342925.44    | 2419.86 | 345345.30 | 1153115.25 | 202164.78       | 1355280.04  |     |           |
| (घ) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 526.24   |                 |              |         |           |            |                 |             |     |           |
| 1 एक कोडनी निकौनी   | 14              | 7367.36      | 0.00    | 7367.36   | 521609.09  | 0.00            | 521609.09   |     |           |
| 2 सामग्री (युरिया, जैविक खाद आदि)   | 0               | 0.00         | 1419.86 | 1419.86   | 0.00       | 100526.09       | 100526.09   |     |           |
| 3 पौधों की सुख्ता- 25 हेठो से 50 हेठो तक  | 730             | 384155.20    | 0.00    | 384155.20 | 384155.20  | 0.00            | 384155.20   |     |           |
| 4 मृत पौधों का प्रतिरक्षण   | 2.20            | 1157.73      | 500.00  | 1657.73   | 81967.14   | 35400.00        | 117367.14   |     |           |
| 5 लेवर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |                 |              |         |           | 9877.31    | 0.00            | 9877.31     |     |           |
| कुल :-  | 746             | 392680.29    | 1919.86 | 394600.15 | 997608.74  | 135926.09       | 1133534.83  |     |           |
| सामग्री मद में GST 18% कुल :-   |                 |              |         |           | 0.00       | 24466.70        | 0.00        |     |           |
| कुल योग :-  | 746             | 392680.29    | 1919.86 | 394600.15 | 997608.74  | 160392.78       | 1158001.53  |     |           |

|     |   |      |            |          |            |             |             |
|-----|---|------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| (अ) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 805.18   |      |            |          |            |             |             |
| 1   | एक कोडनी निकोली   | 14   | 8472.52    | 0.00     | 8472.52    | 599854.42   | 0.00        |
| 2   | समाप्ती (युरिया, जिविक खाद आदि)   | 0    | 0.00       | 1419.86  | 1419.86    | 0.00        | 599854.42   |
| 3   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 220890.70  | 0.00     | 220890.70  | 220890.70   | 100526.09   |
| 4   | देशन की मरम्मति (प्रति छेन) 462.25 छेन  | 1    | 605.18     | 0.00     | 605.18     | 279744.46   | 0.00        |
| 5   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 11004.90    | 0.00        |
|     | कुल :-  | 380  | 229968.40  | 1419.86  | 231388.26  | 1111494.47  | 100526.09   |
|     | सामग्री नद में GST 18% कुल :-   | 380  | 229968.40  | 1419.86  | 231388.26  | 1111494.47  | 1212020.55  |
| (ब) | सम्पोषण कार्य (वट्टम वर्ष) पंचम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 695.96    |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 254025.40   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 2540.25     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 254025.40  | 0.00     | 254025.40  | 256565.65   | 0.00        |
| (च) | सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) चौथम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 800.35    |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 292127.75   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 2921.28     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 292127.75  | 0.00     | 292127.75  | 295049.03   | 0.00        |
| (ज) | सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 920.40   |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 335946.00   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 3359.46     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 335946.00  | 0.00     | 335946.00  | 339305.46   | 0.00        |
| (झ) | सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1058.46    |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 30 हें तक  | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 386337.90   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 3863.38     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 386337.90  | 0.00     | 386337.90  | 390201.28   | 0.00        |
| (त) | सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) नवम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1217.23      |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 444288.95   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 4442.89     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 444288.95  | 0.00     | 444288.95  | 448731.84   | 0.00        |
| (थ) | सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष) दशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1399.81   |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 510930.65   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 5109.31     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 510930.65  | 0.00     | 510930.65  | 516039.96   | 0.00        |
| (द) | सम्पोषण कार्य (दोदशम वर्ष) एकादशम वर्ष को आधार मानते हुए मजदूरी दर में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी दर - 1609.78 |      |            |          |            |             |             |
| 1   | पौधों की सुखा- 25 हें तक  | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 587569.70   | 0.00        |
| 2   | लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत  |      |            |          |            | 5875.70     | 0.00        |
|     | कुल :-  | 365  | 587569.70  | 0.00     | 587569.70  | 593445.40   | 0.00        |
|     | सकल योग :-  | 5148 | 4056818.53 | 16182.83 | 4073001.36 | 11326193.78 | 3228719.29  |
|     |   |      |            |          |            |             | 14554913.08 |
|     |   |      |            |          |            | या /        | 14554913.00 |

नोट :-

1. उत्तर प्रावकलन प्रधान मुफ्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0 - 01 / यो०८०-३०/२०२०-०७ ज्ञापंक 279 दिनांक 26.04.2023 के आधार पर तैयार किया गया है।

2. द्वितीय वर्ष से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मजदूरी दर में बढ़ोतारी की गई है।

3. सामग्री एवं आपूर्ति मद में 18% GST जोड़कर प्रावकलन तैयार किया गया है।

| सारांश                                    | मजदूरी      | सामग्री GST<br>18% | कुल         |
|---|-------------|--------------------|-------------|
| अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) वर्ष 2023-24    | 3239465.30  | 2495822.87         | 5735288.17  |
| समाप्तन कार्य (द्वितीय वर्ष) वर्ष 2024-25 | 1985171.40  | 251718.07          | 2236889.47  |
| सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) वर्ष 2025-26   | 1153115.25  | 202164.78          | 1355280.04  |
| सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) वर्ष 2026-27  | 997608.74   | 160392.78          | 1158001.53  |
| सम्पोषण कार्य (पचास वर्ष) वर्ष 2027-28    | 1111494.47  | 118620.78          | 1230115.25  |
| सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) वर्ष 2028-29   | 256565.65   | 0.00               | 256565.65   |
| सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) वर्ष 2029-30   | 295049.03   | 0.00               | 295049.03   |
| सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) वर्ष 2030-31   | 339305.46   | 0.00               | 339305.46   |
| सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) वर्ष 2031-32     | 390201.28   | 0.00               | 390201.28   |
| सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) वर्ष 2032-33     | 448731.84   | 0.00               | 448731.84   |
| सम्पोषण कार्य (एकादशम वर्ष) वर्ष 2033-34  | 516039.96   | 0.00               | 516039.96   |
| सम्पोषण कार्य (दोदशम वर्ष) वर्ष 2034-35   | 593445.40   | 0.00               | 593445.40   |
| योग :-                                    | 11326193.78 | 3228719.29         | 14554913.08 |
| या ल०:-                                   | 11326194.00 | 3228719.00         | 14554913.00 |

कुल प्रावकलित राशि (एक करोड़ पैतालीस लाख चौंहवन हजार नौ सौ तेरह) मात्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

जॉचा

Sachal  
सहायक वन संरक्षक,

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
बुढमू वन क्षेत्र, माण्डर।





**CENTRAL COALFIELDS LIMITED**  
(A subsidiary of Coal India Limited)  
Office of the General Manager,  
North Karanpura Area, P.O: Dakra 829210,  
Dist: Ranchi (Jharkhand).



Ref. No.: GM/NK/P&P/Envt/2023-24/ 38

Date: 05/06/2023

**Undertaking regarding Payment of Additional forest levies (If any)**

The Project undertakes to submit the additional amount of Compensatory Afforestation (CA) (if any) on account of revision of wage rates.

Yours Faithfully

General Manager( M)/  
Project Officer  
KDH OCP,NK Area  
Dakra

Copy to :

- 1) General Manager, NK Area: for kind information
- 2) SO(P&P), NK Area
- 3) O/c

